संख्या:35/2021/2341/46-1-21-20(23)/89टी.सी.

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्,
शाहजहाँपुर।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

विषयः-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर की सेवा नियमावली के नियम-21 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्ध.शा.पत्र संख्या:229/18-27(प), दिनांक-20.07.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के कार्मिको हेतु प्रख्यापित सेवा नियमावली के वर्तमान नियम-21 को निम्नवत स्तम्भ-2 में वर्णित व्यवस्थानुसार स्थापित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

वर्तमान व्यवस्था	**प्रतिस्थापित व्यवस्था**
1	**2**
नियम-21- परिषद के कर्मचारियों पर प्राविडेन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी तथा पेंशन के मामले में वही नियम लागू होंगे जो उ.प्र. राज्य कर्मचारियों पर लागू हैं या भविष्य में किये गये संशोधन या तद्विषयक निर्गत शासनादेश व निर्देश सहित यथावत् समय-समय पर लागू होते रहेंगे। परन्तु 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त उ.प्र. गन्ना	**नियम-21-** परिषद् के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन का भुगतान किये जाने हेतु स्ववित्त पोषित पेंशन स्कीम के अन्तर्गत गठित की गयी पेंशन निधि में प्राविधानित धनराशि रू.5.00 करोड़ से प्राप्त ब्याज तथा उ.प्र. गन्ना शोध परिषद की स्वयं की आय से प्राप्त धनराशि के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा या भविष्य में किये गये संशोधन या तद्विषयक निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

शोध परिषद् के कार्मिकों पर उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।	शासनादेश व निर्देश सहित यथावत् समय-समय पर लागू होते रहेंगे। परिषद् के कर्मचारियों पर प्राविडेन्ट फण्ड एवं ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में पूर्ववत् व्यवस्था लागू रहेगी। शोध परिषद् के कार्मिकों हेतु राशिकरण पूर्व की भाँति अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् के कार्मिकों पर उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

3. कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:35/2021/2341(1)/46-1-21, दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
2. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

डॉ. रुपेश कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है